



2026:AHC:20877

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या – 1291 सन् 2026

गजराम सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी

.....याचिकाकर्ता(याचिकाकर्ताओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

..... उत्तरदाता(उत्तरदाताओं)

याचिकाकर्ता(याचिकाकर्ताओं) के अधिवक्ता

: संजीव कुमार

उत्तरदाता(उत्तरदाताओं) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति, विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री संजीव कुमार और राज्य-उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता, श्री आर.एस. उमराव को सुना गया।
2. विरोधी पक्षकारों के अधिवक्ताओं ने संयुक्त बयान दिया है कि वे आगे कोई शपथपत्र दायर नहीं करना चाहते हैं इसलिए पक्षकारों की सहमति से रिट याचिका पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें 26.12.1979 को आरक्षी के पद पर नियुक्त किया गया था और मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नत किया गया था और वे 31.05.2021 को सेवानिवृत्त हुए। याचिकाकर्ता के अनुसार, भा0द0सं0 की धारा 323 और 324 के तहत आपराधिक मामला संख्या 353 सन् 2014 अभिलेखित होने के कारण याचिकाकर्ता को अस्थायी पेंशन दी जा रही थी। याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष रिट-ए संख्या 13724 सन् 2025 दायर कर यह मांग की है कि उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता की पूर्ण पेंशन की मांग पर विचार करने का निर्देश दिया जाए, विशेष रूप से, तब जब याचिकाकर्ता को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, न्यायालय संख्या 1, मुरादाबाद द्वारा 10.01.2025 को दोषमुक्त कर दिया गया था। इसके बाद अब रिट याचिकाकर्ता के दावे को पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जिला पीलीभीत ने 04.01.2026 को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि दोषमुक्त करने के आदेश के विरुद्ध सरकारी अपील दायर करने की अनुमति ली जा रही है।
4. इसी को चुनौती देते हुए, रिट याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की है।
5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि चुनौती दिए गए आक्षेपित आदेश को इसलिए मान्य नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि याचिकाकर्ता को दोषमुक्त कर दिया गया और आपराधिक मामले की लंबितता पूर्ण पेंशन न देने का आधार थी। जब तक अपील में दोषमुक्त करने का

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आदेश अपास्त नहीं हो जाता, तब तक केवल अपील की लंबितता पेंशन लाभ छीनने का आधार नहीं हो सकती।

6. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि चाहे जो भी निर्णय हो वह राज्य सरकार द्वारा लिया जाना चाहिए।

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

8. तथ्य विवाद में नहीं हैं। यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता को आपराधिक अपील की लंबितता के आधार पर अंतरिम पेंशन दी गई थी। चूंकि पक्षकारों के अनुसार, आपराधिक कार्यवाही दोषमुक्त होने पर समाप्त हो गई और उक्त दोषमुक्त करने का आदेश अपास्त नहीं किया गया है यद्यपि उत्तरदाता अपील दायर करने की प्रक्रिया में हैं इसलिए यह पेंशन लाभ छीनने का आधार नहीं हो सकता।

9. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित तरीके से किया जा रहा है:

(क). उत्तरदाता संख्या 3/पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जिला पीलीभीत द्वारा दिनांक 04.01.2026 को पारित आदेश अपास्त किया जाता है।

(ख). मामले को विधि के अनुसार नया आदेश पारित करने हेतु पुनः प्रस्तुत किया जाता है।

10. चूंकि निर्णय उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा लिया जाना है इसलिए उत्तरदाता संख्या 1 छह सप्ताह की अवधि के भीतर उचित आदेश पारित करेगा।

11. तदनुसार, रिट याचिका को निस्तारित किया जाता है।

30 जनवरी, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति, विकास

बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"